


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/1/23

प्रार्थी वकिल उपस्थित/विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब 2 माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रार्थी व विपगार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा-सेढा आये हुए हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे व कणें बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजय से बिखर गये जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बिच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी के नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी को नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.नि. से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।


सहायक क्लर्क (SDO)
बायतु
खिला - बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक: वाद/2023/127

दिनांक:- 23-01-2023

राजस्व आवेदन संख्या 424/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुन्नीलाल पुत्र टीकमाराम वगैरा 12 जाति जाट निवासी बनिया धोरा तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. दमाराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 24 निवासी बनिया धोरा तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-बनिया धोरा, पटवार हल्का-बायतु भीमजी, तहसील बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 187/33, 19, 20, 37 रकबा क्रमशः 10.1772, 0.2346, 9.1822, 3.3412 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा हैं खातेदार को यह अधिकार हैं कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबन्दी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मौके पर कमीशनर शुल्क 500/- जमा करवाकर करें। एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

क्रमांक: वाद/2023/128-132

दिनांक:- 23-01-2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भीमजी को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र टीकमाराम वगैरा 12
4. विप्रार्थीगण दमाराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 24
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर